भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2369
मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी चीनी मिलों को मजबूत बनाने के लिए एनसीडीसी द्वारा ऋण

†2369. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा "सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के सुदृढ़ीकरण हेतु एनसीडीसी को सहायता अनुदान योजना" के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों की राज्य-वार संख्या और कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए तत्संबंधी जिला-वार और मिल-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन ऋणों का उपयोग करके स्थापित अथवा स्तरोन्नत किए गए सहकारी चीनी मिलों अथवा सह-उत्पादन संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में उनकी वर्तमान प्रचालन स्थिति सहित उनका विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत लंबित ऋण आवेदनों की राज्य-वार संख्या और कुल मूल्य कितना है तथा आन्ध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा इन आवेदनों पर कार्रवाई करने में विलंब के क्या कारण हैं;
(घ) चालू वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण और नई परियोजनाओं की स्वीकृति का राज्य-वार लक्ष्य क्या है; और
(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में सहकारी चीनी मिलों को पेश आ रही प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): "सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को सहायता अनुदान योजना" के अंतर्गत NCDC ने विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी चीनी मिलों को अब तक 8040.38 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है । आंध्र प्रदेश में स्थित किसी सहकारी चीनी मिल से ऋण की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । विगत तीन वर्षों के दौरान NCDC द्वारा स्वीकृत ऋण का राज्य-वार ब्योरा **संलग्न** है।

(ख): जहां आन्ध्र प्रदेश में कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने हेतु सहकारी चीनी मिलों से ऋण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, वहीं NCDC ने श्री नर्मदा खंड उद्योग मंडली लि., नर्मदा, गुजरात को 30 मेगावाट कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए 97.12 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है ।

(ग): NCDC के पास आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी मिल से कोई ऋण आवेदन लंबित नहीं है ।

(घ): सरकार ने सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को एथनॉल उत्पादन संयंत्र और कोजेनरेशन संयंत्र की स्थापना और कार्यशील पूंजी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने हेतु NCDC को 31 मार्च 2025 तक 1000 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान अनुमोदित किया है । वस्तुत:, NCDC ने इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण संवितरण का कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है ।

(ङ): आंध्र प्रदेश की चीनी मिलों सहित सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा सामना की जा रही प्रचालनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए NCDC ने एथनॉल संयंत्र ऋण/कोजेनरेशन संयंत्र ऋण हेतु वित्तपोषण स्वरूप को संशोधित कर 90:10 कर दिया है जिसमें परियोजना लागत का 90% NCDC द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जा सकता है और परियोजना के तकनीकी-आर्थिक योग्यता के अध्यधीन शेष 10% की लागत को समिति द्वारा अपनी पात्रता के आधार पर NCDC की प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार या तो NCDC से सीधे या राज्य सरकार के माध्यम से जुटाया जा सकता है ।

******

<u>अनुलग्नक</u>

(करोड़ रुपये)

राज्य	**2022-23***			**2023-24**			**2024-25**		
	CSMs की सं.	स्वीकृत धनराशि	जारी धनराशि	CSMs की सं.	स्वीकृत धनराशि	जारी धनराशि	CSMs की सं.	स्वीकृत धनराशि	जारी धनराशि
महाराष्ट्र	-	-		19	3349.02	1909.60	31	3946.72	2324.65
गुजरात	-	-		4	360.16	112.30	2	244.90	110.91
मध्य प्रदेश	-	-		2	139.57	8.00	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-		-	-	-	-	-	-
कुल				**25**	**3848.75**	**2029.90**	**33**	**4191.62**	**2435.56**

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोई भी परियोजना स्वीकृत और निधि जारी नहीं की गई ।